पत्र सं0 :–26 / विविध–06–20 / 2025................................ /

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान परिक्षेत्राधीन सारण नहर प्रमंडल, मैरवा के अन्तर्गत एकरारनामा सं0–01SBD/2017-18 दिनांक–01.02.2018 के तहत हथुआ शाखा नहर के वि0दू0 90.00 से वि0दू0 183.40 तक सेवापथ के पक्कीकरण कार्य का एकरारनामा संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड कम्पनी, प्रो0– श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम– रामपुर, पो0–बड़हरा, जिला– भोजपुर, पिन–802311 द्वारा सम्पादित किया गया।

उक्त कार्य की जांच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा की गई, जांचोपरांत अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल–01 के पत्रांक–07 दिनांक–30.04.2024 द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उड़नदस्ता जांच प्रतिवेदन में उक्त सेवापथ के पक्कीकरण कार्य में GSB की औसत मोटाई प्रावधानित मोटाई 175 mm के विरूद्ध 154.11 mm पाया गया है, जो गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप नहीं है। एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में बरती गयी अनियमितता बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11(क) (ii) में उल्लेखित कदाचार की श्रेणी में आता है।

उक्त कदाचार के लिए विभागीय पत्रांक–2583 दिनांक–06.06.2025 द्वारा संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड कम्पनी, प्रो0– श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम– रामपुर, पो0–बड़हरा, जिला–भोजपुर, से कारणपृच्छा की मांग की गयी। तदालोक में संवेदक द्वारा कारणपृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया। जिसमें निम्न तथ्य का उल्लेख किया गया है:–

- मेरे द्वारा उक्त कार्य को विभागीय अभियंतागण की गहन देख–रेख में प्राक्कलन के प्रावधानों के अनुरूप कराया गया है तथा कराये गये कार्यों की समय–समय पर Layer Wise विभागीय अभियंतागण एवं विभाग की आंतरिक एवं विभाग द्वारा निर्धारित वाहय जाँच प्रयोगशाला से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग में समर्पित किया गया है तथा जाँच का परिणाम संतोषप्रद पाये जाने के उपरांत ही मुझे विभाग द्वारा भुगतान किया गया है।
- GSB कार्य में क्रमशः 55 mm, 40 mm एवं 2.26 mm से Below पत्थर का इस्तेमाल होता है। ऐसी संभावना हो सकती है कि उड़नदस्ता जाँच के दौरान GSB कार्य की मापी के दौरान कोई त्रुटि रह गयी तो, चूँकि उस दौरान मैं अथवा मेरा कोई अधिकृत प्रतिनिधि उस स्थल पर मौजूद नहीं था।

संवेदक से प्राप्त कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की समीक्षा यो0 एवं मो0 अंचल से करायी गयी जिसमें प्रतिवेदित है कि जाँच दल के द्वारा BM Layer के नीचे किये गये WMM Layer एवं GSB Layer की जाँच अक्रमतः रूप से चयनित तीन बिन्दुओं पर खोद कर की गयी है। जाँच के क्रम में WMM Layer की मोटाई प्रावधानित 225 mm के अनुरूप पायी गयी है तथा GSB Layer की मोटाई प्रावधानित 175 mm से कम पायी गयी है। संवेदक के द्वारा GSB कार्य की मापी के दौरान त्रुटि रहने से संबंधित आशंका का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

साथ ही जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–7.0.0 में स्पष्ट अंकित है कि विषयक जाँच, संवेदक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया है। अतः संवेदक द्वारा स्थल पर उनके किसी प्रतिनिधि के मौजूद नहीं रहने से संबंधित तथ्य सत्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त सेवापथ के पक्कीकरण कार्य में GSB की औसत मोटाई प्रावधानित मोटाई 175 mm के विरूद्ध 154.11 mm पाया गया है, जो गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप नहीं है। कार्य को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप ससमय पूर्ण नहीं करना संवेदक की कर्तव्यहीनता एवं कार्य के प्रति घोर लापरवाही की मंशा को परिलक्षित करता है।

उक्त कदाचार के लिए विभागीय आदेश सं0–380 दिनांक–03.05.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड कम्पनी, प्रो0– श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम– रामपुर, पो0–बड़हरा, जिला– भोजपुर, पिन–802311 को कालीसूची में डाले जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड कम्पनी, प्रो0– श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम– रामपुर, पो0–बड़हरा, जिला– भोजपुर, पिन–802311 (निबंधन सं0–WRD240425C1PF24169479 श्रेणी–प्रथम) को 5 वर्षों के लिए कालीसूची में डाला जाता है।

ह0/–
(शरद कुमार)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक : ....पटना/दिनांक :..

प्रतिलिपि :– संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड कम्पनी, प्रो0– श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम– रामपुर, पो0–बड़हरा, जिला– भोजपुर, पिन–802311 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शरद कुमार)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक :..........3441.........../पटना, दिनांक :.....24.7.25.....

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल –2,3,4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग एवं कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(शरद कुमार)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय